न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

मु0न0 : 10/2019 (2019/00140)

रामनिवास पुत्र मूलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

— प्रार्थी

बनाम

1. सन्तोष पत्नी हनुमानप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासीझांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. ममता पुत्री हनुमानप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. सन्दीप पुत्र हनुमानप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. द्वारकाप्रसाद पुत्र मूलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. ज्ञानधारी पत्नी स्व0 रामकिशन जाति कलाल निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. चन्द्रभान पुत्र रामकिशन जाति कलाल निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. फुलकंवर पत्नि स्व0 हिम्मतसिंह जाति राजपुत निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. प्रितमसिंह पुत्र स्व0 हिम्मतसिंह जाति राजपुत निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
9. शायरादेवी पत्नि सांवतसिंह जाति राजपुत निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
10. विरेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
11. सिकन्दरसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
12. इन्द्रकंवर पत्नि स्व0 भूपसिंह जाति राजपुत निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
13. नरेन्द्रसिंह पुत्र भूपसिंह जाति राजपुत निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
14. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भूपसिंह जाति राजपुत निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
15. छन्नुकंवर पत्नि स्व0 प्रेमसिंह जाति राजपुत निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
16. चमनसिंह पुत्र स्व0 प्रेमसिंह जाति राजपुत निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
17. मनोजसिंह पुत्र स्व0 प्रेमसिंह जाति राजपुत निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
18. गजेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमसिंह जाति राजपुत निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
19. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीवडी जरिये शाखा प्रवन्धक, शाखा छानीवडी तहसील भादरा।
20. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रवन्धक, शाखा भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

— अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र बाबत स्वीकृत करवाने रास्ता
अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
सपठित शर्त 8(2) राजस्थान कॉलोनाइजेशन
कण्डीशन एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : प्रार्थी
वकील श्री विक्रम शर्मा : अप्रार्थी सं0 1 ता 17

निर्णय **दिनांक :** 29-10-21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएल के वर्तमान खाता सं0 162/156 के मु0नं0 4 के किला नं0 19 व 22, मु0नं0 13 के किला नं0 1, 2, 9, 10 कुल किता 6 की 1.518 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि मुश्तर्का खातेदारी स्थित है जिसमें प्रार्थी के नाम से 10 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के पिता व पति स्व0 हनुमानप्रसाद के नाम से 10 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 4 द्वारकाप्रसाद के नाम से 20 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 5 व 6 के पति व पिता स्व0 रामकिशन के नाम से 40 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 7 व 8 के पति एवं पिता स्व0 हिम्मतसिंह के नाम से 40 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 8 की उक्त खातेदारी के चिपते ही दक्षिणी तरफ चक 2 जेएसएल के ही वर्तमान खाता सं0 140/137 के मु0नं0 4 के किला नं0 18,23 ता 25, मु0नं0 13 के किला नं0 3 ता 8, 11 ता 2 कुल किता 25 की 6.325 है0 नहरी खातेदारी भी मुश्तर्का खातेदारी है जिसमें अप्रार्थी सं0 9 शायरादेवी के नाम से 3/8 हिस्सा अप्रार्थी सं0 10 व 11 विरेन्द्रसिंह व सिकन्दरसिंह के नाम से 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 7 व 8 के पति एवं पिता स्व0 हिम्मतसिंह के नाम से 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 15 ता 17 के पति एवं पिता स्व0 प्रेमसिह के नाम से 1/8 हिस्सा अप्रार्थी सं0 18 गजेन्द्रसिंह के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी के पश्चिमी तरफ मु0नं0 3, 14, 19 में से पत्थर लाईन पर एक गट्ठा स्वीकृतशुदा रास्ता स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी में अपनी रिहायशी ढाणी बनाकर आबाद है तथा वहीं पर अपने धनपशु आदि रखता है। प्रार्थी के खेत के आस पडौस में भी काफी ढाणियां बनी हुई है जिनमें भी लोग इसी रास्ता से होकर गुजरते है। प्रार्थी की खातेदारी के उतरी तरफ नेतनाहरसिंह का धाम भी बना हुआ है जहां भी हर माह मेला भरता है, जिसमें काफी लोग आते है तथा काफी वाहन आते जाते रहते है। जिसके चलते मु0नं0 3, 14, 19 में से एक गट्ठा में जाने वाला रास्ता काफी कम चौड़ा है तथा प्रार्थी अपनी ढाणी में नीरा चारा आदि ला एवं ले जा नहीं सकता जिससे भी प्रार्थी को काफी परेशानी होती है।

उक्त रास्ता कम चौड़ा होने के चलते पिछले करीब दो वर्ष पहले प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी चक 2 जे एस एल के मु0नं0 13 के किला नं0 1, 10, 11, 20 व 21 में भी पत्थर लाईन से प्रत्येक किला में दो–दो बिस्वा में अर्थात् 2–2 गटठा रास्ता बना लिया था तथा उक्त किला नं0 1, 10, 11, 20 व 21 में से मौका पर चालु है परन्तु रिकार्ड माल में उक्त रास्ता दर्ज नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी चक 2 जेएसएल के मु0नं0 13 के किला नं0 1, 10, 11, 20 व 21 में पत्थर लाईन से 2–2 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत करवाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थीगण सं0 1 ता 12 व 14 ता 17ने प्रार्थना की मदों को स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं0 13 ने भी प्रार्थना पत्र की मदों को स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं0 18 को बार बार आवाज लगाई गई उपस्थित नहीं आने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं0 19 व 20 को वकील अप्राथी ने तर्क किया।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी के पश्चिमी तरफ मु0नं0 3, 14, 19 में से पत्थर लाईन पर एक गट्ठा स्वीकृतशुदा रास्ता स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी में अपनी रिहायशी ढाणी बनाकर आबाद है तथा वहीं पर अपने पशुओं को रखता है। प्रार्थी के खेत के आस पडौस में भी काफी ढाणियां बनी हुई है वह लोग भी इसी रास्ता से होकर गुजरते है। प्रार्थी की खातेदारी के उतरी तरफ नेतनाहरसिंह का धाम भी बना हुआ है जहां हर माह मेला भरता है, जिसमें काफी लोग आते है तथा काफी वाहन आते जाते रहते है। जिसके चलते मु0नं0 3, 14, 19 में से एक गट्ठा में जाने वाला रास्ता काफी कम चौड़ा है तथा प्रार्थी अपनी ढाणी में पशु चारा आदि ला एवं ले जा नहीं सकता जिससे भी प्रार्थी को काफी परेशानी होती है।

उक्त रास्ता कम चौड़ा होने के चलते पिछले करीब दो वर्ष पहले प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी चक 2 जे एस एल के मु0नं0 13 के किला नं0 1, 10, 11, 20 व 21 में भी पत्थर लाईन से प्रत्येक किला में दो–दो बिस्वा में अर्थात् 2–2 गटठा रास्ता बना लिया था तथा उक्त किला नं0 1, 10, 11, 20 व 21 में से मौका पर चालु है परन्तु रिकार्ड माल में उक्त रास्ता दर्ज नहीं हो सका है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का समर्थन किया तथा कथन किया कि चक 2 जे एस एल के मु0नं0 13 के किला नं0 1, 10, 11, 20 व 21 में भी पत्थर लाईन से प्रत्येक किला में दो–दो बिस्वा में अर्थात् 2–2 गटठा रास्ता दर्ज करवाने पर अप्रार्थीगण जबावदेहिन्दा सहमत है किन्तु किला नं0 10 में केवल 1–1/2 बिस्वा रास्ता दर्ज करवाने पर ही सहमत है। चूंकि किला नं0 10 में ढाणी बनी हुई है तथा रास्ता के रूप में मौका पर केवल 1–1/2 बिस्वा भूमि ही छोड़ी गई है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में मुताबिक जवाब प्रार्थना के ही रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील उभय पत्र की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की खातेदारी चक 2 जेएसएल के मु0न0 13 के किला नं0 1, 10, 11, 20 व 21 में से होते हुए अपने खातेदारी में आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु पेश किया है। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में मु0न0 13 के किला नं0 1, 10, 11, 20 व 21 में रास्त चालु शुदा होना बताया है। इसके अलावा पक्षकारान जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किये अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने पर सहमत है। जवाब प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में प्रवेश करते हेतु अन्य कोई निकटतम दूरी का सुविधाजनक रास्ता नहीं है तथा चाहा गया रास्ता चालु शुदा रास्ता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 8(2) राजस्थान जनरल कॉलोनाईजेशन कण्डीशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा चक 2 जे एस एल के मु0नं0 13 के किला नं0 1, 11, 20 व 21 में पत्थर लाईन पर दक्षिण से उतर प्रत्येक किला में दो–दो बिस्वा में अर्थात् 2–2 गटठा रास्ता एवं मु0नं0 13 के किला नं0 10 में पत्थर लाईन से दक्षिण से उतर 1–1/2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। अप्रार्थीगण की शेष कृषि भूमि पर बैंक रहन यथावत् रखते हुए राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29-10-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़